ISBN: 978-93-93166-00-5

राजस्थान में भ्रष्टाचार निवारण में लोकायुक्त की भूमिका

डॉ संदीप शर्मा
सहायक आचार्य
भौतिक शास्त्र
श्री राधेश्याम राम मोरारका गवर्नमेंट कॉलेज,
झुझुनू , राजस्थान, भारत

डॉ विनोद कुमार
सहायक आचार्य
राजनीति विज्ञान
श्री राधेश्याम राम मोरारका गवर्नमेंट कॉलेज,
झुझुनू , राजस्थान, भारत

परिचयात्मक

भ्रष्टाचार वर्तमान समय में सर्वाधिक ज्वलंत समस्या है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार की समस्या पहले विद्यमान नहीं थी जैसा कि एस.एस. गिल ने अपनी पुस्तक ''द पैथोलॉजी आॅफ करप्शन'' में लिखा है कि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या प्राचीनकाल से ही विद्यमान है, जिसका उल्लेख प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य की पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में मिलता है। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। भ्रष्टाचार भारतीय समाज के लिए कैंसर बन चुका है यदि समय रहते इसका ईलाज नहीं किया गया तो यह कैंसर की भांति असाध्य हो जाएगा। भ्रष्टाचार रूपी

ISBN: 978-93-93166-00-5

कैंसर सभ्य समाज की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को कुण्ठित करके समाज के नैतिक ढांचे एवं सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर देगा। भ्रष्टाचार भारतीय समाज में "दुर्जेय शत्रु" के रूप में सर्वव्याप्त एवं सर्वस्वीकृत हो चुका है ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु प्रभावी एवं सशक्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात् भ्रष्टाचार की समस्या निरन्तर विकराल रूप धारण करती जा रही है। उसका मुख्य कारण नेताओं और लोकसेवकों की मिलीभगत है। नौकरशाही का राजनीतिकरण, राजनीति का अपराधीकरण की प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार की समस्या को बढ़ावा दिया है।

राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का इतिहास

भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोढ़ है, जो कि प्रशासन के लिए कैंसर बन चुका है। इसे समाप्त करने के लिए समय-समय पर अनेक प्रयास किये गये हैं। भ्रष्टाचार निवारण हेतु सर्वप्रथम 'आॅम्बुड्समैन' जैसी संस्था की अवधारणा के प्रतिपादन का श्रेय स्केण्डीनेवियन देशों का जाता है। विश्व के विभिन्न देशों में इसे भिन्न-भिन्न नाम से जाना जाता हैं। भारत में आॅम्बुड्समैन को राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। भारत में राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना करने वाले अग्रणी राज्यों में शुमार हैं। सर्वप्रथम उड़ीसा 1970 में एवं महाराष्ट्र 1971 में इनके पश्चात् 1973 में राजस्थान लोकायुक्त का स्थापना करने वाला तीसरा राज्य था। सर्वप्रथम, 1963 में हरिशचन्द्र माथुर की अध्यक्षता में गठित राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने आॅम्बुड्समैन जैसी कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की थी, जिसका कार्य कार्यपालिका की गतिविधियों पर नजर रखना तथा किसी सरकारी एजेंसी द्वारा विद्यमान कानूनों एवं नियमों का उल्लंघन एवं किसी

ISBN: 978-93-93166-00-5

प्रकार की अवैध, अन्यायपूर्ण एवं मनमानी कार्रवाई करने पर, उन पर कार्यवाही करते हुए, भ्रष्टाचार का अभिकथन करने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में समुचित अन्वेषण करना होगा। जिसकी अधिकारिता का विस्तार सभी मंत्रियों एवं सिविल सेवकों तक होना चाहिए। न्यायपालिका को इसके दायरे से बाहर रखे जाने की सिफारिश की। यद्यपि जन शिकायतों की सुनवाई के लिए राज्य में जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग पहले से विद्यमान था, किन्तु सरकार के विद्यमान तंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं थी, जिसके द्वारा मंत्रियों, सचिवों एवं लोकसेवकों के विरुद्ध पदीय दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता की शिकायतों की जांच और अन्वेषण किया जा सके।

5 जनवरी, 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकुशलता एवं जनआंकाक्षाओं के प्रति संवेदनहीनता, अकुशलता के विरुद्ध उभरने वाले जनआक्रोश पर विचार कर, "प्रॉब्लम ऑफ़ रिड्रेसल ऑफ़ सिटीजन्स ग्रीवेन्सेज" नामक शीर्षक वाली रिपोर्ट में जन शिकायतों के निवारण, भ्रष्टाचार एवं अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जांच के लिए केन्द्र के स्तर पर 'लोकपाल' एवं राज्य स्तर पर 'लोकायुक्त' नामक संवैधानिक संस्था की स्थापना की सिफारिश की, जिसे 48 वर्ष के लंबे इंतजार के पश्चात् स्वीकार किया गया है, किन्तु व्यावहारिक रूप में इसकी क्रियान्विति अभी मूर्त रूप नहीं ले सकी है। राज्यपाल निर्मलचन्द्र जैन ने लोकायुक्त के 21वें वार्षिक समेकित प्रतिवेदन को मुख्यमंत्री को प्रेषित करते हुए लिखा कि "लोकायुक्त पद की स्थापना उस सोच का परिणाम थी जो भारतवर्ष में प्राचीनकाल से मन और मस्तिष्क में छायी रही है। तब सर्वशक्तिमान राजा भी राजर्षि

ISBN: 978-93-93166-00-5

के दण्ड के आगे नतमस्तक रहा करता था। उससे इस कल्पना को जन्म मिला कि जिसके हाथ में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति निहित हो, उसके ऊपर भी यदि एक अनुशासनात्मक व्यवस्था हो, तब अधिकार संपन्न व्यक्ति निरंकुश नहीं रह जाता है और यह प्रजातंत्र का मूल है।

राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973

केन्द्र सरकार को आॅम्बुड्समैन की स्थापना में 48 वर्ष लगे, वहीं राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की शुरुआत 1970 के दशक के अन्त में प्रारम्भ हो गयी थी। लोकायुक्त की स्थापना करने वालों में राजस्थान अग्रणी राज्य है। लोकायुक्त संस्था की स्थापना का उद्देश्य था कि प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवा सकेगी। जनसाधारण को सुशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोकसेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार का अभिकथन करने वाली एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच व अन्वेषण करने हेतु एवं जनता में विश्वास और संतोष की भावना में वृद्धि तथा स्वच्छ, पारदर्शी, संवेदनशील, सक्षम, एवं ईमानदार प्रशासन प्रदान करने हेतु राजस्थान में एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन करना आवश्यक समझा गया और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अध्यादेश सं. 3, 24 जनवरी, 1973 को प्रख्यापित किया गया जो कि 25 जनवरी, 1973 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करते हुए यह अधिसूचित किया गया कि यह अध्यादेश 3 फरवरी, 1973 से लागू होगा। बाद में इस अध्यादेश को राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे 26 मार्च, 1973 को राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की थी। 27 मार्च, 1973 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त

ISBN: 978-93-93166-00-5

अधिनियम, 1973 में कुल 23 धाराएं एवं एक अनुसूची है। अधिनियम की धारा 1 में अधिनियम का नाम, अधिकार क्षेत्र एवं अधिनियम के लागू होने की तिथि का उल्लेख है। इस अधिनियम का नाम राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 है, जो कि सम्पूर्ण राजस्थान में लागू है तथा यह अधिनियम 3 फरवरी, 1973 को लागू हुआ।

अधिनियम की धारा 2 में अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न शब्दावलियों को परिभाषित किया गया है, जिसमें कार्रवाई, अभिकथन, सक्षम प्राधिकारी, लोकायुक्त, उपलोकायुक्त, मंत्री, अधिकारी, विहित, लोक-सेवक, सचिव आदि सम्मिलित हैं। लोकसेवक की परिभाषा में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो

1. राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्य, किन्तु मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हैं।
2. राजस्थान राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में या सार्वजनिक पद नियुक्त व्यक्ति
3. प्रत्येक जिला परिषद् जिला प्रमुख एवं उप-प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान एवं उप-प्रधान एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत गठित किसी भी स्थायी समिति का अध्यक्ष।
4. प्रत्येक नगर निगम का महापौर एवं उप-महापौर, नगरपालिका परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किसी समिति का अध्यक्ष।

ISBN: 978-93-93166-00-5

5. राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित, कोई भी स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में कार्यरत या वेतनभोगी।
6. राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियम से स्थापित, राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कोई भी निगम।
7. कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम ना हो।
8. राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत सोसायटी, जिस पर सरकार का नियंत्रण हो।
9. राजस्थान सरकार का सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव हो।

अधिनियम की धारा 2(ग) के तहत लोकसेवक के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को परिभाषित करते हुए उल्लेख है कि मंत्री या सचिव के मामलें में मुख्यमंत्री तथा किसी भी अन्य लोकसेवक के मामले में ऐसा प्राधिकारी जो विहित किया जाए, सक्षम प्राधिकारी होगा।"

लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की नियुक्ति

राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-3 में लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। लोकायुक्त की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा में विपक्षी दल का नेता या विपक्ष का नेता न होने पर विपक्ष द्वारा इस निमित निर्वाचित व्यक्ति से परामर्श के पश्चात्, राज्यपाल द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा युक्त वारण्ट द्वारा नियुक्ति की जाती है; उपलोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा युक्त वारण्ट द्वारा, लोकायुक्त से परामश के पश्चात् की जाती है। किन्तु इसके

ISBN: 978-93-93166-00-5

साथ ही यह प्रावधान किया गया कि प्रथम उपलोकायुक्त वह व्यक्ति होगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व सर्तकता आयुक्त का पद धारण कर रहा है।

इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व श्री के.पी. मेनन राजस्थान सतर्कता आयुक्त थे। अतः इन्हें अधिनियम की धारा 5(1) के द्वितीय परन्तुक के तहत प्रथम उपलोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया तथा 5 जून, 1973 को राज्यपाल द्वारा उपलोकायुक्त पद की शपथ दिलवाई गई। इसके पश्चात् आज तक उपलोकायुक्त के पद पर नियुक्ति नहीं की गयी है। लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त पद धारण करने से पूर्व राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। उप-लोकायुक्त, लोकायुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे, लोकायुक्त उपलोकायुक्त को इस अधिनियम के तहत अन्वेषणों के सुविधापूर्ण निपटारे के लिए सामान्य या विशेष निर्देश दे सकेगा, किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह उपलोकायुक्त के किसी भी निष्कर्ष या सिफारिश पर आपत्ति करने के लिए प्राधिकृत होगा।

अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि लोकायुक्त, या उपलोकायुक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति अन्य कोई पद धारण नहीं करेगा यदि लोकायुक्त या उपलोकायुक्त पद पर नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति, यदि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, कोई लाभ का पद धारण करता है, तो उसे त्यागपत्र देना होगा। यदि वह किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध है तो उससे संबंध विच्छेदन करना होगा, या यदि कोई व्यापार का संचालन एवं प्रबंध कर रहा है तो उससे अपने को हटाना होगा।

लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की पदावधि (कार्यकाल) एवं सेवा शर्तें

राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-5 में लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की पदावधि एवंसेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान है।

ISBN: 978-93-93166-00-5

प्रारम्भ में प्रावधान किया गया (लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अपना पद धारण करने से तीन वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहेगा, किन्तु प्रथम उप-लोकायुक्त की पदावधि उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाए, किन्तु किसी भी स्थिति में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1978 के द्वारा लोकायुक्त की पदावधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई। इससे पूर्व लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, राज्यपाल को संबोधित स्वयं के हस्ताक्षर सहित त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

लोकायुक्त का पद रिक्त होने पर उपलोकायुक्त द्वारा यदि एक से अधिक उपलोकायुक्त है तो ऐसे उपलोकायुक्त द्वारा, जिसको राज्यपाल निर्देश दे, लोकायुक्त के कत्र्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। उपलोकायुक्त का पद रिक्त होने पर, स्वयं लोकायुक्त द्वारा या लोकायुक्त द्वारा निर्देशित अन्य उपलोकायुक्त द्वारा उपलोकायुक्त के कत्र्तव्य का निर्वहन किया जाएगा। यदि लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त दोनों पद रिक्त हैं तो लोकायुक्त के पद के कत्र्तव्य का निर्वहन राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश द्वारा, जिसका नाम निर्देशन राज्यपाल के अनुरोध पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाए किन्तु ऐसा न्यायाधीश लोकायुक्त के कत्र्तव्यों का निर्वहन, अपने कत्र्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

कोई व्यक्ति एक बार लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के पद पर नियुक्त होने के पश्चात् केन्द्र या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, निगम, सार्वजनिक कम्पनी या सोसायटी अधीन किसी भी पद को धारित नहीं कर सकेगा। लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त के वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तें वहीं होगी जो राजस्थान उच्च

ISBN: 978-93-93166-00-5

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की होगी तथा इनकी नियुक्ति के पश्चात् इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (कार्यकाल)

क्रम स०	नाम	अवधि
1.	न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	28.08.1973 से 27.08.1978
2.	न्यायमूर्ति श्री डी.पी. गुप्ता पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	28.08.1978 से 05.08.1979
3.	न्यायमूर्ति श्री एम.एल. जोशी पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	06.08.1979 से 07.081982
4.	न्यायमूर्ति श्री के.एस. सिद्धू न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	04.04.1984 से 03.01.1985
5.	न्यायमूर्ति श्री एम.एल. श्रीमाल पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम, उच्च न्यायालय	04.01.1985 से 03.01.1990
6.	न्यायमूर्ति श्री पी.डी. कुदाल पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	16.01.1990 से 06.03.1990

ISBN: 978-93-93166-00-5

7.	न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शर्मा न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	10.08.1990 से 30.09.1993
8.	न्यायमूर्ति श्री वी.एस. दवे न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	20.01.1994 से 16.02.1994
9.	न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शर्मा पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	06.07.1994 से 06.07.1999
10.	न्यायमूर्ति श्री मिलापचन्द जैन पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	26.11.199 से 26.11.2004
11.	न्यायमूर्ति श्री जी.एल. गुप्ता पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	01.05.2007 से 30.04.2012
12.	न्यायमूर्ति श्री एस.एस. कोठारी, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	25.03.2013 से 07.03.2019

स्रोत: http//:lokayukt, rajasthan.gov.in/article_detail.aspx

उपलोकायुक्त

1.	श्री केपीयू. मेनन, आई.ए.एस. पूर्व मुख्य सचिव	05.06.1973 से 25.06.1971

स्रोत : http//:lokayukt. rajasthan.gov.in/article_detail.aspx

लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया

ISBN: 978-93-93166-00-5

राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 6 में लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त को उसके पद से हटाये जाने के आधार एवं प्रक्रिया का उल्लेख है। पद से हटाने का आधार-राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के अधीन रहकर, लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर उसके पद से हटा सकता है।

पद से हटाने की प्रक्रिया-लोकायुक्त को राज्यपाल द्वारा नियुक्त ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका है तथा उप-लोकायुक्त के संबंध में, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, जांच पश्चात् प्राप्त प्रतिवेदन राज्यपाल राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखवायेगा, यदि राज्य विधानमण्डल के सदन, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्तावित पारित करने पर राज्यपाल, लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त को उस के पद से हटा सकेगा।

अन्वेषण की अधिकारिता-राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 लोकायुक्त को कतिपय मामलों में मंत्रियों और लोकसेवकों के विरूद्ध आरोपित भ्रष्टाचार से संबंधित अभिकथनों की जांच करने के अधिकार का उल्लेख है। लोकायुक्त को मुख्यमंत्री को छोड़कर, राज्य के मंत्रियों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, लोकसेवकों, जिला परिषदों के प्रमुखों व उप प्रमुखों, पंचायत समितियों के प्रधानों व उप प्रधानों, जिला परिषदों व पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्षों, नगर निगमों के महापौर एवं उपमहापौर, स्थानीय प्राधिकरण,

ISBN: 978-93-93166-00-5

नगरपरिषदों, नगरपालिकाओं व नगर विकास न्यासों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों, सार्वजनिक कम्पनियों, नियमों अथवा मण्डलों के अध्यक्षों व कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित आरोपित अभिकथनों का अन्वेषण करने की अधिकारिता प्रदान की गई है-

1. किसी भी लोकसेवक द्वारा किसी को भी अनुचित हानि या कष्ट पहुंचाने का आरोप अभिकथन में होने पर।
2. किसी भी लोकसेवक द्वारा अपने पद की हैसियत का दुरुपयोग करके स्वयं अथवा अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को अवैध एवं अनुचित लाभ पहुंचाने का अभिकथन आरापित होने पर।
3. किसी लोकसेवक द्वारा अपने पद के दायित्वों एवं कत्र्तव्यों का निर्वहन करते समय, निजी स्वार्थ अथवा भ्रष्ट या अनुचित हेतुओं से प्रेरित होने का आरोपित अभिकथन के संबंध मे।
4. लोकसेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार का दोषी होने या सच्चरित्रता की कमी होने का आरोपित अभिकथन के संबंध में।

अधिनियम की धारा 8 में प्रावधन है कि ‘‘लोकायुक्त या उपलोकायुक्त ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में कोई अन्वेषण नहीं करेगा, जिनके संबंध में लोकायुक्त की पूर्व सहमति से लोकसेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के तहत किसी औपचारिक और सार्वजनिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं, या जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच के लिए निर्देशित कर दिया गया है। लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त, अधिनियम की धारा 19 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा अपवर्जित निम्नलिखित के विरूद्ध अभिकथित शिकायत के विरूद्ध अन्वेषण नहीं कर सकेगा-

ISBN: 978-93-93166-00-5

1. न्यायाधीश, न्यायिक सेवा के अधिकारी, समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारी
2. मुख्यमंत्री
3. केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निगमित निकाय के समस्त अधिकारी व कर्मचारी।
4. राजस्थान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य।
5. निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
6. विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी।
7. सांसद, विधायक, सरपंच व पंच।
8. सेवानिवृत लोकसेवक।
9. राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 8(3) में प्रावधान है कि ऐसी शिकायत जिसमें अभिकथन तो अन्तर्निहित है, किन्तु शिकायत कार्यवाही के होने के पांच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् की गयी है। लोकायुक्त अन्वेषण नहीं कर सकता है।

शिकायत के संबंध में प्रावधान

राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 9 में शिकायत संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (कार्यवाहियां) नियम, 1974) की नियम 3 के तहत परिवादों के प्रारुप का निर्धारण किया गया है जो कि निम्नानुसार है-

ISBN: 978-93-93166-00-5

1. शिकायत एवं परिवाद केवल राजस्थान राज्य के लोकसेवकों के विरुद्ध ही की जा सकती है।
2. अधिनियम की धारा 2(1) में प्रावधान है कि लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त को शिकायत लोकसेवक के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, परन्तु पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होने या किसी कारण से असमर्थ होने पर, पीड़ित व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकारी या इस निर्मित उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति कर सकेगा।
3. शिकायत राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त (कार्यवाहियां) नियम, 1974 द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं शपथ-पत्रों के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
4. शिकायत कर्ता द्वारा शिकायत प्रपत्र में निर्दिष्ट सभी प्रविष्टियों को पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए तथा अभिकथित आरोपों के विवरण का उल्लेख स्पष्ट एवं विशेष रूप में करना होगा तथा विवरण विस्तृत होने पर अलग से संलग्न किया जा सकता है।
5. शिकायतकर्ता को शिकायत के संबंध में दस रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यदि शिकायत कर्ता एक से अधिक है तो भी एक शिकायत कर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र भी पर्याप्त होगा।
6. ऐसे मामले, जिनको पांच वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया उनकी शिकायत नहीं की जा सकती, किंतु लगातार चल रहे कृत्य के संबंध में यह समयावधि लागू नहीं होगी।

ISBN: 978-93-93166-00-5

7. व्यक्तिगत विवाद से संबंधित मामलों की शिकायत लोकायुक्त में नहीं की जा सकती।

जांच एवं अन्वेषण प्रक्रिया

राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 में शिकायतों के अन्वेषण की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अन्वेषण प्रक्रिया "दोषी लोकसेवक को दण्ड और निर्दोष को संरक्षण" के सिद्धान्त पर आधारित है। अधिनियम की धारा 11(2) के तहत शिकायतों के प्रारम्भिक जांच और अन्वेषण के लिए लोकायुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। लोकायुक्त संस्था लोकसेवकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का गहराई से परीक्षण करने के पश्चात् विषय की गंभीरता और सत्यता तक पहुंचने का प्रयास करती है। यदि परीक्षण के दौरान शिकायत में अभिकथित आरोप स्पष्ट नहीं है तो आरोपों के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग की जा सकती है। तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परिवादी को प्रतिवेदन के संबंध में को आपतियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। परिवादी की आपत्तियों एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन का परीक्षण करने पर, यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो शिकायत को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है तथा आरोप सही पाये जाने पर आरम्भिक जांच या अन्वेषण करने के आदेश जारी किये जाते हैं। यद्यपि शिकायत परीक्षण के दौरान मामला प्रथमदृष्टतया ही प्रारम्भिक जांच किये जाने का प्रतीत हो तो, ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक जांच के आदेश जारी किये जाते हैं। लोकायुक्त किसी लोकसेवक के विरूद्ध जांच एवं अन्वेषण की कार्यवाही केवल शिकायत प्राप्त होने पर ही नहीं वरन् ठोस आधारों पर स्वतः संज्ञान से भी प्रारम्भ कर सकता है।

ISBN: 978-93-93166-00-5

प्रारंभिक जांच-शिकायत के परीक्षणोपरान्त या प्रथम दृष्टतयाप्रारम्भिक जांच के आदेश जारी करने के पश्चात् प्रारम्भिक जांच के दौरान परिवादी द्वारा लोकसेवक के विरूद्ध आरोपित अभिकथनों, तथ्यात्मक प्रतिवेदनों, साक्षीगण एवं संबंधित अभिलेखों का परीक्षणकरने के पश्चात् यदि अभिकथन प्रमाणित नहीं पाये जाने पर राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 10 के तहत अन्वेषण प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है। किसी लोकसेवक के विरूद्ध अन्वेषण प्रारम्भ करने पर संबंधित लोकसेवक एवं संबंधित सक्षम प्राधिकारी को शिकायत की प्रतिलिपि या अन्वेषण स्वप्रेरणा से प्रारम्भ किया जा रहा है, तो उन आधारों को जानकारी दी जाएगी; आरोपी लोकसेवक को अपना पक्ष रखने हेतु उचित अवसर प्रदान किया जाएगा तथा यह अपने बचाव में जवाब, शपथ-पत्र पर स्पष्टीकरण एवं अन्य दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा। अन्वेषण के पश्चात् अभिकथित आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अन्वेषण रोककर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर परिवादी को सूचित कर दिया जाता है। यदि आरोप अंशतः या पूर्णतः सही पाये जाते हैं तो अधिनियम की धारा-12(1) के तहत लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त संबंधित दस्तावेजों, सामग्री एवं अन्य साक्ष्यों के सहित अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा।

राजस्थान लोकायुक्त उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2 में सक्षम अधिकारी की परिभाषा दी गयी है। अधिनियम की धारा 2(ग) ;पपद्ध के अनुसार मंत्री या सचिव के मामले में सक्षम प्राधिकारी मुख्यमंत्री होगा। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल ने राजस्थान लोकायुक्त एवं

ISBN: 978-93-93166-00-5

उपलोकायुक्त (कार्यवाहियां) नियम, 1974 बनाये गये जिनको राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (कार्यवाहियां) (संशोधन) नियम, 1996 द्वारा संशोधन पश्चात् वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार हैं-

क्रम स०	लोकसेवक	सक्षम प्राधिकारी
1.	मंत्री या सचिव	मुख्यमंत्री
2.	अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों, विभागाध्यक्षों और राज्य सेवा के सदस्यों के मामले में	मंत्री, कार्मिक विभाग
3.	राजपत्रित अधिकारियों के मामले में	मंत्री, संबंधित विभाग
4.	अराजपत्रित अधिकारियों के मामले में	शासन सचिव, संबंधित विभाग

स्रोत-राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (कार्यविाहयां) (संशोधन) नियम, 1996

सक्षम प्राधिकारी, लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त से प्राप्त रिपोर्ट की जांच करेगा तथा रिपोर्ट प्राप्ति के तीन महीने के भीतर, रिपोर्ट पर की गयी कार्यवाही की सूचना लोकायुक्त भी उपलोकायुक्त को देगा। यदि लोकायुक्त या उपलोकायुक्त सक्षम

ISBN: 978-93-93166-00-5

प्राधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही से संतुष्ट हो, तो वह परिवादी संबंधित लोकसेवक एवं सक्षम प्राधिकारी को सूचना प्रेषित करते हुए प्रकरण को बंद कर देगा, किन्तु संतुष्ट न होने पर, तो वह आवश्यक समझने पर राज्यपाल की विशेष रिपोर्ट भेजकर परिवादी को सूचित कर देगा। यदि किसी प्रकरण में लोकसेवक के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं, किन्तु प्रशासन की ऐसी किसी प्रक्रिया का पता चलता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार का अवसर उत्पन्न होता है, वो लोकायुक्त सचिवालय ऐसी प्रक्रिया में परिवर्तन या संशोधन का सुझाव दे सकता है। अधिनियम की धारा 10(4)में प्रावधान है कि लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त किसी शिकायत के संबंध में स्वविवेक से अन्वेषण के लिए इंकार या अन्वेषण बंद कर सकता है, यदि उसकी राय में-

1. शिकायत परेशान करने के लिए की गई है।
2. अन्वेषण हेतु पर्याप्त आधार नहीं है।
3. यदि परिवादी को अन्य उपचार उपलब्ध हो, जो कि प्रकरण के संबंध परिवादी हेतु अधिक उचित होगा। ऐसे मामलों में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अन्वेषण बन्द करने के आधारों से शिकायतकर्ता एवं संबंधित लोकसेकवक को अवगत करवायेगा।

राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 13 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति दुर्भावनावश या जानबूझकर से कोई झूठी शिकायत करता है, तो दोषी पाये जाने पर 3 वर्ष की सजा एवं जुर्माना लगाया जा सकेगा।

ISBN: 978-93-93166-00-5

यदि कोई शिकायतकर्ता अन्वेषण में मिथ्या शिकायत का दोषी पाया जाता है तो अधिनियम की धारा 13(2) में प्रावधान है कि दोषी लोकसेवक के विरुद्ध ऐसे अपराध का संज्ञान, उच्च न्यायालय के अधीन प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया जाएगा। ऐसी शिकायत के संबंध में अभियोजन लोक अभियोजक द्वारा संचालित किया जाएगा तथा अभियोजन का समस्त खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसे मामले, मिथ्या शिकायत का दोषी पाये जाने पर न्यायालय शिकायतकर्ता को जुर्माने की राशि में से प्रतिकर दे सकता है।

जांच एवं अन्वेषण के संबंध में साक्ष्य हेतु लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की शक्तियां

राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 11(2) के तहत लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की प्रारम्भिक जांच एवं अन्वेषण हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निम्नानुसार- सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

1. किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना तथा उसे उपस्थित कराना एवं उसकी शपथ पर परीक्षा करना।
2. किसी संबंधित दस्तावेज को प्रकट एवं प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।
3. शपथ पत्र पर गवाही या साक्ष्य प्राप्त करना।
4. किसी भी कार्यालय एवं न्यायालय से सार्वजनिक अभिलेख अथवा उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना।
5. गवाहों एवं दस्तावेजों की परीक्षा हेतु कमीशन जारी करना।
6. अन्य ऐसे मामलो, जो विहित किये जायें।

ISBN: 978-93-93166-00-5

इसके अतिरिक्त यदि लोकायुक्त उपलोकायुक्त की राय में कोई लोकसेवक या अन्य व्यक्ति जांच एवं अन्वेषण से संबंधित सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ ऐसी कोई भी सूचना देने या ऐसे किसी भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा। अधिनियम की धारा 11(3) में प्रावधान है कि ‘‘लोकायुक्त या किसी उपलोकायुक्त केसमक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 के तहत एक न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। -लोकायुक्त एवं किसी उप-लोकायुक्त द्वारा चाही गयी ऐसी सूचना के लिए कोई भी लोकसेवक किसी विधि या अधिनियम द्वारा गोपनीयता बनाये रखने एवं विशेषाधिकार का हकदार नहीं होगा, किन्तु अधि्िनयम की धारा 11(5) यह प्रावधान करती है कि, ‘‘भारत सरकार की सुरक्षा, प्रतिरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली, मंत्रिमण्डल या उसकी किसी समिति की कार्यवाही के संबंध में सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही अधिनियम की धारा 11(6) में प्रावधान है कि ‘‘अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी साक्ष्य देने या ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जिसे किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में देने या प्रस्तुत करने के लिए उसे विवश नहीं किया जा सकता हो।‘‘

जानकारी की गोपनीयता

राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1993 की धारा 15 में प्रावधान है कि लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत-किसी जांच एवं अन्वेषण हेतु प्राप्त जानकारी एवं साक्ष्य गोपनीय होंगे तथा भारतीय साक्ष्य

ISBN: 978-93-93166-00-5

अधिनियम, 1872 में किसी बात के होते हुए भी किसी भी न्यायालय को यह अधिकार नहीं होगा कि वह, लोकायुक्त, उपलोकायुक्त या किसी लोक सेवक में ऐसी जानकारी के संबंध में साक्ष्य देने के लिए बाध्य कर सके, किन्तु यह प्रावधान अन्वेषण के प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही, आॅफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत किसी अपराध, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत झूठा साक्ष्य देने या गढ़ने के अपराध या अन्य किसी विहित प्रयोजन के लिए लागू नहीं होंगे। अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान है कि यदि लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त द्वारा अन्वेषण के दौरान उसके कार्य में कोई बाधा डालने का दोषी पाया जाता है, तो उसे 6 माह की सजा या जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है कि अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये कार्य के लिए लोकायुक्त उपलोकायुक्त, किसी अधिकारी, कर्मचारी, एजेन्सी या व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या कानून कार्यवाही नहीं की जा सकती है तथा लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की किसी भी कार्यवाही, अधिकारिता के आधार के बिना किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि राज्यपाल लोकायुक्त से परामर्श के पश्चात् लिखित आदेश के द्वारा लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त को निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य प्रदान कर सकता है-

1. राज्यपाल, लोकायुक्त से परामर्श के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, भ्रष्टाचार उन्ममूलन हेतु अतिरिक्त कृत्य प्रदान कर सकता है।
2. राज्यपाल, लोकायुक्त से परामर्श के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की किसी एजेन्सी, प्राधिकारी या अधिकारी

ISBN: 978-93-93166-00-5

वर्ग के उपर लोकायुक्त एवं किसी उपलोकायुक्त को पर्यवेक्षण करने की शक्तियां प्रदान कर सकता है।

राज्यपाल द्वारा सौंपे गये अतिरिक्त कृत्यों के लिए भी लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त को अधिनियम के तहत प्रदत्त समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। अधिनियम की धारा 20 में प्रावधान है कि लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियां एवं कत्र्तव्य को धारा 14 में निर्दिष्टि अधिकारियों, कर्मचारियों एवं एजेंसियों को प्रत्यायोजित कर सकता है। अधिनियम की धारा 21 में प्रावधान है अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्यपाल राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियम बना सकेगा।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एवं लोकायुक्त

भारत सरकार ने एक संकल्प द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2005 को श्री एम. वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जिसने सरकार के सभी स्तरों पर एक सक्रिय, जवाबदेह, कार्यकुशल एवं संवेदनशील प्रशासन का लक्ष्य प्राप्त करने के उपायों में पर विचार करते हुए जनवरी, 2009 में प्रस्तुत अपनी चतुर्थ रिपोर्ट, "शासन में नैतिकता" में राज्य स्तर पर लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की

1. प्संविधान में संशोधन करके प्रावधान किया जाए कि सभी राज्य सरकारों के लिए लोकायुक्त का गठन अनिवार्य हो तथा इसकी संरचना, अधिकार एवं कार्यों के संबंध में सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाए।
2. प्लोकायुक्त एक बहुसदस्यीय निकाय होना चाहिए, जिससे अध्यक्ष पद पर न्यायिक सदस्य एवं राज्य सतर्कता आयुक्त इसका पदेन सदस्य होना चाहिए।

ISBN: 978-93-93166-00-5

3. प्प्लोकायुक्त के अध्यक्ष का चयन, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता से मिलकर बनी समिति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों के पैनल में से किया जाना चाहिए।
4. उपलोकायुक्त के चयन की कोई आवश्यकता नहीं है।
5. लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार का दायरा केवल भ्रष्टाचार में लिप्त मामलों तक ही सीमित होना चाहिए तथा सामान्य लोक शिकायतों के मामलों की जांच का कार्य लोकायुक्त के दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए।
6. मंत्रियों एवं विधायकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच को लोकायुक्त के दायरे में लाना चाहिए।
7. राज्य सर्तकता आयोग का गठन कर, उसे राज्य सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का कार्य सौंपा जाना चाहिए।
8. भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरों को राज्य सतर्कता आयोग के नियंत्रण में लेना चाहिए।
9. प्लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में किसी व्यक्ति को एक बार ही नियुक्त किया जाना चाहिए तथा एक बार अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के पश्चात् सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
10. जांच एवं अन्वेषण हेतु लोकायुक्त की स्वयं की एजेंसी होनी चाहिए तथा अपना एक संवर्ग भर्ती करने के लिए कदम उठाना चाहिए एवं उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

ISBN: 978-93-93166-00-5

11. भ्रष्टाचार के समस्त प्रकरणों की केवल राष्ट्रीय लोकायुक्त के पास भेजा जाना चाहिए न कि किसी जांच आयोग के पास।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *31 वां वार्षिक प्रतिवेदन, लोकायुक्त सचिवालय,शासन सचिवालय जयपुर*
2. *25वां वार्षिक प्रतिवेदन, लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर*
3. *लोकायुक्त राजस्थान के 30 वर्ष, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर*
4. *निर्मलचन्द्र, जैन, राज्यपाल, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार को दिनांक 17.06.2009 को प्रेषित पत्र*
5. http//:lokayukt. rajasthan.gov.in/article_detail.aspx
6. *राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (कार्यविहयां) (संशोधन) नियम, 1996*
7. *डॉ विनोद कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र : राजस्थान में लोकयुक्त का विश्लेषणात्मक अध्ययन, 2021*